Qt0.205 प्रभावली पेश हुई। वकील कोई उपस्थित नहीं। वकील की ओर से स्वयं को आवाज लगाई गई फिर भी हाजिर नहीं। बाद कोई आदेश पैरवी व आदेश हाजरी में खारीज किया जाता है। प्रभावली नम्बर से काम कीजाकर आदेश तकमील जाहा ह।खिल इफ्लत हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खवासपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.10.31 13:20:08 IST
Reason: SelfAttested